

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर

क्रमांक / नर्सिंग / सामान्य-नर्स-2 / नियम / स्थाई / रतनगढ-चूरु / 2019 /

दिनांक -

संशोधन आदेश

निदेशालय के समसख्यक आदेश क्रमांक नर्सिंग / सामान्य / नर्स-2 / स्थाई / रतनगढ -चूरु / 2018 / 199 दिनांक 16.10.18 द्वारा जिला रतनगढ-चूरु के अधीन कार्यरत निम्न नर्स-2 का दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमितिकरण / स्थायीकरण किया था, मे कॉलम संख्या 05 मे अंकितानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र० सं०	निदेशालय का आदेश क्रमांक दिनांक	उक्त आदेश मे क्रम संख्या	आदेश मे अंकित नाम / जन्म तिथि / परीवीक्षा करने की दिनांक	संशोधित नाम / जन्म तिथि / परिवीक्षा करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	199 / 16.10 18	18	भंवरी 12.02.16 कार्यग्रहण तिथि 11.02.18 परिपूर्ण तिथि 12.02.18 नियत वेतन तिथि	भंवरी 12.02.16 कार्यग्रहण तिथि 12.04.18 परिपूर्ण तिथि 13.04.18 नियत वेतन तिथि

उक्त कार्मिक के परिवीक्षा काल अवधि मे 90 दिवस, का असाधारण अवकाश का उपभोग करने पर वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक F.1 (2) FD (RULES)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण मे एक माह से अधिक अवधि 60 दिवस की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल मे अभिवृद्धि की गई है।

—sd—

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / सामान्य-नर्स-2 / नियम / स्थाई / रतनगढ-चूरु / 2019 / 181

दिनांक - 18/3/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है.-

- 1 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जोन, बीकानेर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ-चूरु को भेजकर लेख है कि पूर्व मे भिजवाये गये प्रस्ताव मे आपके कार्यालय द्वारा कार्मिका के अवकाश कॉलम मे परिवीक्षा काल अवधि मे शून्य अवकाश लेना इगित कर निदेशालय को भिजवाया गया था अत पत्र प्राप्ति के तीन दिवस मे अपना स्पष्टीकरण आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाये ।
- 3 संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4 प्रभारी सर्वर, रूम मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
- 5 आदेश पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।